7/282712

संख्या- /XXVIII/25-3-e file no. 46418/2023

प्रेषक,

डॉ0 आर0 राजेश कुमार,

सचिव,

उत्तराखण्ड शासन ।

सेवा में,

महानिदेशक,

चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,

उत्तराखण्ड, देहरादून

चिकि0 स्वा0 एवं चिकि0 शिक्षा अनु0–03 देहरादून, दिनांक 12 मार्च, 2025

विषयः– **ECRP-II** के अन्तर्गत जनपद हरिद्वार के उप जिला चिकित्सालय में **50 Bedded Critical Care Block** के निर्माण कार्य की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या–7प/निर्माण/37 पार्ट–2/2021/28452, दिनांकः 16.09.2023 के क्रम में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन योजनान्तर्गत ECRP- II के अन्तर्गत जनपद हरिद्वार में 50 Bedded Critical Care Block के निर्माण कार्य हेतु नामित कार्यदायी संस्था द्वारा प्रस्तुत आगणन ₹ 2076.75 लाख की टी०ए०सी०/व्यय–वित्त समिति, नियोजन विभाग द्वारा तकनीकी परीक्षणोपरांत निम्नानुसार धनराशि को औचित्यपूर्ण पाते हुए अनुमोदन प्रदान किया है :–

निर्माण कार्य का नाम	कार्यदायी संस्था	प्रस्तावित कार्य के आगणन की लागत (लाख में)	नियोजन विभाग की टी.ए.सी. के परीक्षणोपरान्त आगणन की लागत		
			सिविल कार्य	अधिप्राप्ति कार्य	कुल
ECRP-II के अन्तर्गत जनपद हरिद्वार के उप जिला चिकित्सालय रूड़की में प्रस्तावित 50 Bedded Critical ब्तम Block की स्थापना।	सिंचाई विभाग	₹ 2076.75	₹ 1235.88	₹ 771.89	₹ 2007.77
कुल योग (लाख में)					₹ 2007.77

2. उपरोक्त के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत निर्माण कार्य हेतु भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2022–23 **ECRP-II** में आवंटित/अनुमोदित धनराशि, जोकि विभिन्न शासनादेशों के माध्यम से आपके निवर्तन पर रखी गयी है एवं एन०एच०एम० को उपलब्ध करायी गयी है, में से उपरोक्त संस्तुत आगणन ₹ 2007.77 लाख (सिविल कार्य रू0 1235.88 लाख अधिप्राप्ति कार्य रू. 771.89 लाख) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए, चालू वित्तीय वर्ष 2024–25 में उक्त के सापेक्ष प्रथम चरण में 40 प्रतिशत धनराशि ₹ 803.11 लाख (रूपये आठ करोड़ तीन लाख ग्यारह हजार मात्र) को निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

i. उक्त कार्य की स्थापना में किसी भी प्रकार की Duplicacy न हो। कार्यों के सुगम संचालन हेतु Hospital and Critical Care Unit Functional Integration का विशेष ध्यान रखा जाय।

ii. Critical Care Block के संचालन हेतु अतिरिक्त पदों का सृजन नही किया जायेगा। सी०सी०बी० का संचालन अस्पताल के स्टाफ द्वारा ही किया जायेगा।

iii. भवन का निर्माण IPHS के अनुसार किया जायेगा।

iv. फर्नीचर, उपकरणों एवं आवश्यक सेवाओं आदि का Procurement Plan इस प्रकार तैयार कर लिया जाय जिससे कि भवन पूर्ण होने पर आवश्यकतानुसार Procurement का कार्य समय पर पूर्ण हो जाय जिससे CCB का संचालन निर्बाध रूप से चले।

v. CCB के संचालन का कार्य मानकों के अनुसार अधिक से अधिक बाह्य स्रोतों से सेवायें प्राप्त करते हुए किया जाय।

vi. Bio Medical Waste के निस्तारण हेतु जिला चिकित्सालय के बी०एम०डब्ल्यु के निस्तारण हेतु नियुक्त एजेन्सी से ही अनुबंध समय से कर लिया जाय तथा BMW Mangement के आवश्यक प्राविधान भी शामिल कर लिये जाय।

vii. कार्यदायी संस्था के मध्य MOU करने की अवधि 18 माह करते हुए निर्धारित अवधि में पूर्ण कराया जाय।

viii. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व भवन की Structural Design एवं Drawing अधिकृत संस्थान से वैट अवश्य कराया जाय।

ix. भवन के विद्युतीकरण के प्राविधानों का विशेष ध्यान रखा जाय। समस्त विद्युत उपकरणों हेतु IEC 62561&7 के मानकों के अनुसार Earthing का कार्य तथा आकाशीय विद्युत से बचाव हेतु Lightning Protection System IEC 62305 मानकों के अनुरूप स्थापित किया जाय। कार्य पूर्ण के पश्चात विद्युतीकरण एवं अग्निसुरक्षा के कार्यों को मानकों के अनुसार पूर्ण करने का प्रमाण पत्र संबंधित विद्युत सुरक्षा विभाग एवं अग्निशमन विभाग से अवश्य प्राप्त कर लिया जाय।

x. विद्युत कार्यों का संपादन विद्युत/यांत्रिक खण्ड के अभियंताओं से ही कराया जाय।

xi. भवनों में Green Building के मानकों के अनुसार आवश्यक प्राविधान किये जायें।

xii. तृतीय पक्ष गुणवत्ता एजेन्सी से परीक्षण अवश्य कराया जाय।

xiii. आगणन की दरें डी०एस०आर 2018 की ली गयी हैं जिन मदों की दरें शेडयूल ऑफ रेटस में उपलब्ध नही हैं, उन मदों की सामग्री की दरों को जैम/बाजार से नियमानुसार प्राप्त करते हुए दर विश्लेषित कर सक्षम अधिकारी से अनुमोदन के उपरांत ही इन मदों में कार्य कराया जाय।

xiv. योजना के क्रियान्वयन में Cost Effectiveness एवं Energy Efficiency के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

xv. योजना क्रियान्वयन हेतु सभी आवश्यक नियम एवं विनियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

xvi. प्रकरण में विभागीय व्यय समिति/व्यय–वित्त समिति एवं नियोजन विभाग की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

xvii. अग्रेत्तर धनराशि उसी दशा में अवमुक्त की जायेगी जब स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र एवं वित्तीय एवं भौतिक प्रगति रिपोर्ट उपलब्ध करायी जायेगी।

xviii. प्रस्तुत योजनाओं का औचित्य आगणन की लागत एवं इसकी उपयुक्तता इत्यादि को सुनिश्चित किया जायेगा।

xix. परिसर भवन में स्वतः स्वच्छता की निरंतर व्यवस्था हेतु प्राविधान अवश्य किये जाय।

xx. कार्य कराये जाने से पूर्व External Electrification, UG Tank, Drainage, STP, RWH Tank आदि का आवश्यकतानुसार मानकों के अनुसार डिजाईन किया जाय।

xxi. परियोजना की लागत पुनरीक्षित होने पर वास्तुविद आदि की Fees में कोई वृद्धि नहीं होगी।

xxii. .शा०स०.50/XXVII(7)/2012दि०: 12.04.2012, 152/887/मार्गसि०/रा०यो०आ०/ 2021 दिनांक: 04.02.2021 एवं 103/XXVII(7)32/2007 टी०सी०–1 दि०: 21 जुलाई, 2022 तथा 1389/687/मार्ग सि०/रा०यो०आ० /2022 दिनाक 03.10.2022 का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली संशोधित 2017 के अनुसार कार्यवाही की जाये।

xxiii. .तकनीकी स्वीकृति जारी करने से पूर्व आगणन के प्रतिवेदन site plan तथा विभिन्न ड्राईंग पर प्र०वि०/उपयोगकर्ता विभाग के सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर प्राप्त करते हुये प्राविधानों तथा भवनों/संरचनाओं के layout पर सहमति प्राप्त कर ली जाये।

xxiv. कार्यदायी संस्था के मध्य MOU के सम्बन्ध में शा०स० 475/XXVII(7)/2018 दिनांक: 15 दिसम्बर, 2008 एवं शा०सं०–571/XXVII(7)/2013 दिनांक: 22 फरवरी, 2013 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

xxv. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र पर सक्षम अधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।

xxvi. कार्य का मदवार उतना ही व्यय किया जाये जितनी मदवार धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत

धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाए।

xxvii. कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित किया जाये।

xxviii. निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला मे अवश्य करा लिया जाये तथा विशिष्टियों के अनुरूप सामग्री ही प्रयोग में लायी जाये।

xxix. विस्तृत आगणन में प्राविधानित डिजायन एवं मात्राओं हेतु सम्बन्धित कार्यदायी संस्था पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

xxx. स्वीकृत विस्तृत आगणन के प्राविधानों एवं तकनीकी स्वीकृति के आगणन के प्राविधानों में परिवर्तन (केवल अपरिहार्य स्थिति की दशा में ही) करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की सहमति अनिवार्य रूप से प्राप्त कर ली जाये।

xxxi. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–2047/XIV–1019 (2006) दिनांक 30.05. 2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाय।

xxxii. आगणन में प्रस्तावित कार्य की तकनीकी स्वीकृति से पूर्व भवन/संरचनाओं के समस्त डिजाइन, ड्राईग एवं डी०पी०आर०को किसी मान्यता प्राप्त उच्च तकनीकी संस्थान से टमजजपदह करा लिया जाये।

xxxiii. कार्यदायी संस्था के द्वारा कार्य प्रारम्भ से पूर्व प्रस्तावित कार्यस्थल का मृदा परीक्षण एवं भूवैज्ञानिक तथ्यों को संज्ञान ले लिया जाये।

xxxiv. कार्यों की मॉनिटरिंग राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तराखण्ड तथा महानिदेशक, चिकित्सा–स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के स्तर से नियमित रूप से की जाएगी।

xxxv. कार्यों को करने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि को मद्देनजर रखते हुए पूर्ण की जायेंगी तथा विभाग द्वारा प्रचलित दरों/ विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्यों को सम्पादित कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

xxxvi. कार्यों पर मदवार उत्तना ही व्यय किया जाय जितनी प्रत्येक कार्य हेतु मदवार धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

:xxvii. प्रत्येक कार्य करने से पूर्व उच्चाधिकारियों एवं भूगर्ववेत्ता (कार्य की आवश्यकतानुसार) से कार्यस्थलों का भली–भांति निरीक्षण अवश्य करा लिया जाए तथा निरीक्षण के पश्चात् दिये गये निर्देशों के अनुरूप ही कार्य कराया जाय।

xxviii. कार्यदायी संस्था द्वारा कार्यों को प्रारम्भ करने से पूर्व परियोजना के डिजाइन एवं ड्राइंग को भारत सरकार से अनुमोदित प्रख्यात संस्था से विधिक्षित (VETT) कराया जायेगा।

xxxix. प्रत्येक निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व प्राविधानित कार्यों की स्ट्रक्चरल ड्रांइग एवं डिजाइन सक्षम अधिकारी से अवश्य अनुमोदित करायी जाय तथा कार्यदायी संस्था तकनीकी स्वीकृति प्रदान करते समय आगणन में उन्हीं मदों का समावेश करेंगे, जो अपरिहार्य मदें हैं।

xl. Reinforcement Steel की मात्रा ठंत Bending Schedule के आधार पर आंकलित किया जाये तथ बचत के सम्बन्ध में प्रशासनिक विभाग को अवगत कराया जायेगा। विस्तृत आगणन में प्राविधानित डिजायन एवं मात्राओं हेतु सम्बन्धित कार्यदायी संस्था पूर्णरूप से उत्तरदायी होंगे।

xli. निर्माण कार्यों में स्ट्रक्चरल एवं Reinforcement Steel हेतु शत–प्रतिशत प्राइमरी स्टील का ही प्रयोग किया जाय।

xlii. निर्माण सामग्री यथा रेत, बजरी, रोडी, सीमेन्ट तथा सरिया, स्ट्रक्चरल स्टील एवं अन्य प्रयुक्त निर्माण सामग्री का निर्माण से पूर्व आई.एस. कोड के अनुरूप समय–समय पर छ।ठस् प्रयोगशाला में परीक्षण आवश्यक कराया जाय।

xliii. निर्माण हेतु Electrical Load के सम्बन्ध में सक्षम स्तर की विषेषज्ञ समिति से परीक्षण एवं अनुमोदन के उपरान्त ही विद्युत भार का निर्धारण किया जाय।

xliv. तकनीकी स्वीकृति से पूर्व भवन के निर्माण/डिजाईन में भूकम्परोधी मानकों IS 1893, IS 13920 तथा IS 4326 का प्राविधान किये जाने तथा भवन की संरचनात्मक सृदृढता का प्रमाण–पत्र किसी मान्यता प्राप्त Structural Engineer से प्राप्त किया जाय।

xlv. बिल्डिंग से सम्बन्धित सभी मानकों के अनुरूप निर्माण सुनिश्चित किया जाय।

xlvi. कार्य प्रारम्भ होने से पूर्व प्रशासकीय विभाग द्वारा निर्माण कार्य की तृतीय पक्ष गुणवत्ता नियंत्रण सुनिश्चित किये जाने हेतु नियोजन विभाग को अवश्य सूचित कराया जाय।

xlvii. मितव्ययता के दृष्टिकोण से यथासम्भव स्थानीय उपलब्ध सामग्री का ही उपयोग करेंगे तथा होने वाली बचतों से शासन को अवगत करायेंगे।

xlviii. विभागाध्यक्ष/सक्षम अधिकारी द्वारा प्लान, स्ट्रक्चरल डिजाईन एवं विशिष्टियों पर हस्ताक्षर अवश्य किये जायेंगे, ताकि भविष्य में प्लान, डिजाइन या विशिष्टियों में कार्यदायी संस्था या ब्वदजतंबजवत के स्तर से परिवर्तन कर कार्य की गुणवत्ता प्रभावित की प्रवृत्ति को रोका जा सके।

xlix. व्यय किए जाने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा समक्ष प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो, उनमें व्यय करने से पहले ऐसी स्वीकृति प्राप्त कर ली जाय।

l. सम्पूर्ण कार्य उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 (संशोधित नियमावली, 2019) के अनुरूप कराया जाय।

li. सुसंगत मद से एन०एच०एम० को संगत घटक में अवमुक्त धनराशि से मिशन निदेशक द्वारा कार्य की प्रगति के दृष्टिगत तीन माह की आवश्यकता के अनुसार कार्यदायी संस्था सिचाई विभाग को धनराशि शासन को सूचित करते हुये उपलब्ध करायी जायेगी।

lii. मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा कार्य पर किये गये व्यय का उपयोगिता प्रमाण पत्र GFR-19 पर समय–समय पर शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

liii. उक्त निर्माण कार्य हेतु सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में सम्पन्न विभागीय समिति की बैठक के कार्यवृत्त में उल्लिखित निर्देशों का शत–प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

liv. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के आदेश संख्या–2047/XIV–219(2006), दिनांक: 30.05.2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से पालन किया जाना सुनिश्चित किया जाय तथा कार्य के सम्बन्ध में कार्यदायी संस्था के साथ वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–475/ग्टप्(7)/2008, दिनांक: 15.12.2008 के अनुसार निर्धारित प्रपत्र पर नियमानुसार एम०ओ०यू० अवश्य हस्ताक्षरित किया जायेगा। कार्य की प्रगति की निरंतर समीक्षा करते हुए रिपोर्ट शासन को प्रेषित की जायेगी तथा कार्यों को निर्धारित समयसारिणी के अनुसार समयबद्ध रूप से पूर्ण कराकर भवन विभाग को हस्तगत कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। विलम्ब या अन्य किसी भी दशा में आगणन पुनरीक्षण पर विचार नहीं किया जायेगा। यदि किसी अपरिहार्य परिस्थिति में पुनरीक्षण या अन्य किसी नये मद को जोड़ने की आवश्यकता होती हो तो पुनः नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

lv. किसी भी दशा में आगणन का पुनरीक्षण नहीं किया जायेगा।

3. यह आदेश वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–03, उत्तराखण्ड शासन के कम्प्यूटरजनित ई०संख्या I/282290/2025 दिनांक 12.03.2025 में प्रदत्त सहमति के क्रम में निर्गत किया जा रहा है।

भवदीय,

Signed by
Rajan Rajesh Kumar
Date: 12-03-2025 18:24:56

(डॉ0 आर0 राजेश कुमार)
सचिव।

संख्या एवं तिथि तदैव।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून।
2. मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तराखण्ड देहरादून।
3. निदेशक, कोषागार, 23 लक्ष्मी रोड़, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. जिलाधिकारी, हरिद्वार।
5. मुख्य चिकित्साधिकारी, हरिद्वार।
6. मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, हरिद्वार।

7. संबंधित कार्यदायी संस्था द्वारा मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तराखण्ड देहरादून।
8. बजट राजकोषीय, नियोजन व संसाधन निदेशालय, सचिवालय, देहरादून।
9. वित्त (व्यय नियंत्रण), अनुभाग–3, उत्तराखण्ड शासन।
10. मीडिया सेंटर, उत्तराखण्ड सचिवालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
11. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

Signed by
Anand Srivastava
Date: 12-03-2025 18:30:47

(डॉ0 आनन्द श्रीवास्तव)

अपर सचिव।